

**Project Name :** Improvement and Up-gradation of Existing Road (NH-731) to 4-Lane with Paved Shoulder from Km 88.750 to Km 123.650, Start of Shahjahanpur Bypass to Start of Shahabad Bypass of NH-731 on HAM basis of Shahjahanpur & Hardoi Forest Divisions & Districts in the state of Uttar Pradesh (**Total Length- 34.900 Km of Package 2A**)

**Proposal No. :** FP/UP/ROAD/157254/2022

### मानक शर्तें

(यह अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 7314 / 14-3-1980 / 82  
दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में काई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, रास्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किया जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को काई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आव्यादित एवं वन जन्तुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(प्रस्तावकर्ता)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
शताधिकारी

अमित रंजन  
(प्रयोजनाना निदेशक)  
भारतीय प्राधिकरण  
प०का०५०—बरली

दिलीप कुमार श्रीवास्तव  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
पुवार्या

**Project Name :** Improvement and Up-gradation of Existing Road (NH-731) to 4-Lane with Paved Shoulder from Km 88.750 to Km 123.650, Start of Shahjahanpur Bypass to Start of Shahabad Bypass of NH-731 on HAM basis of Shahjahanpur & Hardoi Forest Divisions & Districts in the state of Uttar Pradesh (**Total Length- 34.900 Km of Package 2A**)

**Proposal No. :** FP/UP/ROAD/157254/2022

- १५।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
  11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली द्वारा किया जायेगा कि आशय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, वशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
  12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
  13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित रामड़े द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उसका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
  14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकारण दोंच (0) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
  15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिसपर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।

१

(प्रस्तर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
शाहजहांपुर

दिलीप कुमार श्रीवास्तव  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
पुवाया

अनित रंजन १००१  
(प्रयोजना निदेशक)  
भावशाला प्राधिकरण  
पूकांडी-बरेली

१७

**Project Name :** Improvement and Up-gradation of Existing Road (NH-731) to 4-Lane with Paved Shoulder from Km 88.750 to Km 123.650, Start of Shahjahanpur Bypass to Start of Shahabad Bypass of NH-731 on HAM basis of Shahjahanpur & Hardoi Forest Divisions & Districts in the state of Uttar Pradesh (**Total Length- 34.900 Km of Package 2A**)

**Proposal No. :** FP/UP/ROAD/157254/2022

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय।

अमित रंजन चित्रांशी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, बरेली यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्त मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

### भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

स्थान: बरेली

(प्रख्यात गुप्ता)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
दन एवं वन्य जीव प्रभाग  
शाहजहांपुर

(अमित रंजन चित्रांशी)  
परियोजना निदेशक, बरेली

अमित रंजन १०३१  
(परियोजना निदेशक)  
भा०रा०रा० प्राधिकरण  
प०का०८०-बरेली

दिलीप कुमार श्रीवास्तव  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
पुवारी